

फर्द अहकाम

(11)

(नियम 15)

दालत उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली)

आबुलाल बनाम कमलेश वर्गेश

क्रमां. दावा स्वामी विधेयाका, तकासका नं. 65 सन् 2007

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

12/6/ वादी वकील श्री मनोज कुमार शर्मा एड् ने दावा आवत स्वामी विधेयाका, तकासका पेशकिया, दिपोट का अपलोकन क्रिया गया, दावा वर्ज रजिस्ट्र टोकर. समस्त प्रतिक्रिया गण जारी हो। प्रजावली दिनांक 2-7-2007 को पेश हो।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

प्रतिवादी नं. 1
को कोर्ट में कस
देकिनो।
20/7

27 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 को कोर्ट से भरण मोहण शिक एड. उपस्थित पकालावका) को एक गोक न्या. 1 नं. 2 को कोर्ट से नन्दराज बैरवा एड. ने पकालावका) पेश किया। वास्तु पेश करने पकालावका) व गवाव-शवा रि. 31/7/07 को पेश हो।

31/7 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 को कोर्ट से भरण मोहण शिक एड. ने पकालावका) नाम पेश किया। नं. 3 को कोर्ट से एड. एड. सुवर्ण कोर्ड उपस्थित नहीं हुए। विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अदालत में जारी है। वास्तु गवाव-शवा एड. 1, 2 रि. 14/8/07 को पेश हो।